पत्र संख्या–11/आ०नी०–I–06/2020 सा0प्र0..............

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

जय शंकर प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।

पटना–15, दिनांक–......................

विषय :– **आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवेदन करते समय आवेदक द्वारा सम्पूर्ण आवासीय पता पिन कोड सहित अंकित करने एवं स्व–अभिप्रमाणित फोटो संलग्न करने के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य के मूल निवासियों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों को निर्गत किए जाने से संबंधित प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–673 दिनांक–08.03.2011 के अन्तर्गत किए गए हैं।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा आधार पंजीकरण एवं पता सत्यापन के लिए साक्ष्य के रूप में आवासीय प्रमाण पत्र को भी एक दस्तावेज के रूप में सम्मिलित किया गया है, किन्तु राज्य सरकार के विभिन्न अंचलों से वर्तमान में निर्गत आवासीय प्रमाण पत्रों में प्रमाण पत्र धारक का फोटो नहीं रहने के कारण इसके सत्यापन में कठिनाई होती है। आर0टी0पी0एस0 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु स्व–अभिप्रमाणित फोटो लगाए जाने की व्यवस्था पूर्व से लागू है। इसके निमित्त सभी अंचलों में वेबकैम एवं स्कैनर की सुविधा भी उपलब्ध है।

उपर्युक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार के अन्तर्गत फोटोयुक्त आवासीय प्रमाण–पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रयोजन हेतु ऑफ–लाईन आवेदन करते समय आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र में अपना सम्पूर्ण पता, पिन कोड के साथ अंकित करते हुए आवेदन के दाई ओर शीर्ष पर अपना स्व–अभिप्रमाणित फोटो संलग्न किया जायेगा। पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन अंचल के आर०टी०पी०एस० काउन्टर पर आवेदक अथवा आवेदक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जमा कराया जायेगा। आर०टी०पी०एस० काउन्टर पर प्रतिनियुक्त कर्मी द्वारा प्राप्त आवेदन के साथ संलग्न फोटो को स्कैन कर लिया जायेगा तथा यही स्कैनड फोटो आवासीय प्रमाण–पत्र में दायी ओर शीर्ष पर अंकित हो सकेगा।

ऑन–लाईन आवेदन के मामले में भी यही व्यवस्था लागू की जायेगी, किन्तु इस प्रक्रिया में आवेदक द्वारा अपने आवेदन में अपना सम्पूर्ण पता, पिन कोड के साथ अंकित करते हुए आवेदन के साथ स्व–अभिप्रमाणित फोटो संलग्न कर इसे आर०टी०पी०एस० के आवेदन पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। आवासीय प्रमाण–पत्र हेतु दिये गए आवेदन पत्र की जाँच एवं उसके निर्गमन से जुड़े पदाधिकारी/कर्मचारी ही आवेदक के फोटो का भी सत्यापन करेंगे। इस पत्र के निर्गमन के 10 दिनों के पश्चात् आर०टी०पी०एस० के अन्तर्गत आवासीय पता पिन कोड सहित एवं फोटो युक्त आवासीय प्रमाण–पत्र ही निर्गत किया जा सकेगा। नियत तिथि के पूर्व निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र भी पूर्णतः वैध माने जायेंगे।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त व्यवस्था की सूचना अपने अधीनस्थ सभी संबंधित प्राधिकारों को अपने स्तर से देने की कृपा की जाय तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन
ह0/–
(जय शंकर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–11/आ०नी०–I–06/2020 सा0प्र0 2050 **पटना–15, दिनांक–** 15-2-2021

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार पटना/सभी विश्वविद्यालय/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/2/2021
सरकार के संयुक्त सचिव।

FILE PATH-D/ABHINEET SHYAM - HINDI LETEER